FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान भारतीय स्टेट बैंक बनाम मै0 फोर्स इंटरनेशनल लि0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र पुर्नाविलोकन सरफेसी एक्ट नम्बर15/11/2018

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.04.19	आज यह प्रार्थना पत्र हमारे समक्ष पेश हुआ, वकील बैंक/प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित नहीं। अप्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रकरण डी0आर0टी0 में विचाराधीन है, और प्रकरण डी0आर0टी0 में विचाराधीन होने के कारण प्रार्थना पत्र पुर्नाविलोकन पर सुनवाई नही की जा सकती है। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.16 को प्रकरण डी0आर0टी0 में विचाराधीन होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र वापिस प्राधिकृत अधिकारी को लोटाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पुर्नाविचार का खारिज करने योग्य है। हमनें अप्रार्थी वकील की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टी में कोई ऐसा दस्तावेज पेंश नहीं किया जिससे यह जाहिर हो की प्रकरण डी0आर0टी0 द्वारा प्रकरण को निस्तारित कर दिया हों—उनके यहां विचाराधीन ना हों। अप्रार्थी वकील द्वारा आदेशिका दिनांक 11.3.2019 की छाया प्रति डी0आर0टी0 जयपुर की पेश की जिसमें प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण डी0आर0टी0 में विचाराधीन रहते हुऐ प्रार्थना पत्र पुर्नाविचार का पेश किया है—डी0आर0टी0 में प्रकरण विचाराधीन रहते हुऐ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी प्रकरण का डी0आर0टी0 में निस्तारण होने के बाद वापिस पेंश करें। प्रार्थना पत्र नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (इन्द्रजीत सिंह) जिला कलक्टर अलवर (राज0)	